अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(राजस्थान सरकार का स्वायत्तशाषी संस्थान,)
नारेली तीर्थ के पास, बडलिया चौराहा, अजमेर

www.ecajmer.ac.in
email : principal@ecajmer.ac.in
Telefax : 0145- 2971024

महाविद्यालय में विभिन्न सेवाऐं (लगभग 25 श्रमिक तुल्य कार्य सम्पादन हेतु)

(तकनीकी निविदा प्रपत्र)

प्राचार्य,
अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
अजमेर।

निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये – 1000/–
निविदा प्रपत्र अपलोड करने की तिथि 23.08.2024
निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय 17.09.2024 [redacted]
निविदा खुलने की तिथि एवं समय 18.09.2024 [redacted]

1. विषयः—विभिन्न सेवाऐं (मानव संसाधन) दो वर्ष के लिये उपलब्ध कराने हेतु। (अनुमानित राशि रूपये 80.00 लाख)। श्रम विभाग, राजस्थान में पंजीकृत संस्थाऐं निविदा प्रस्तुत कर सकेंगी।
2. निविदा (बोली) प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूर्ण पता..
....
....
3. दूरभाष नं. STD Code............... कार्यालय...निवास.............................
मोबाईल न0...ई–मेल...
4. अधिकृत प्रतिनिधि का नाम जिससे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके।
नाम .... पद ....
मोबाईल न0 ....ई–मेल...
5. बैंक खाता विवरण।
बैंक का नाम .... शाखा ....
खाता संख्या .... खाते का प्रकार–SB/CA, IFSC Code..............................
नोट :– बैंक खाता जिस नाम से निविदा (बोली) प्रस्तुत की गई है उसी नाम का होना आवश्यक है। पास बुक/स्टेटमेन्ट की प्रति संलग्न करें।
6. पंजीयन विवरण (प्रतियां संलग्न करें) :–
(अ) पेन नम्बर ....
(ब) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर विभाग में पंजीयन संख्या ....
(स) श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन संख्या ....
7. निविदा शुल्क की राशि रू0 500/– (अक्षरे रू. पॉच सौ मात्र) तथा ई–प्रोसेसिंग फीस राशि रू. 500/– (अक्षरे रू. पॉच सौ मात्र) दोनों प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के नाम का संलग्न कर भिजवाया जाना अनिवार्य है।
8. निविदा निष्पादन धरोहर राशि रू. 1,60,000/- प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के नाम निविदा खोलने की दिनांक से पूर्व महाविद्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर बोलीदाता

9. सेवाऐं महाविद्यालय एवं निर्देशित स्थानों/शहर में उपलब्ध करानी होगी। यह ठेका आवंटित कार्यो के निष्पादन का है न कि श्रमिकों का।
10. ठेके पर कार्य सेवाऐं संपादन की दर संलग्न अनुसूची में दर्ज है जिस पर बोलीदाता ने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये उक्त अनुसूची प्रदत्त निविदा का अंग मानी जावेगी।
11. स्वीकृत दरें करार की दिनांक से दो वर्ष के लिए मान्य होगी। इसके आगे पारस्परिक सहमति से और बढाई जा सकती है।
12. प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी / निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा लेबर एक्ट के तहत सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन चुकाने एवं अन्य सभी शर्तो की पूर्ति करने की समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाता / प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी की होगी।
13. निविदा दिनांक 18.09.2024 को गठित समिति द्वारा तकनीकी बिड ई–प्रोक्यूरमेन्ट द्वारा खोली जायेगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाता की वित्तीय निविदा निर्धारित/सूचित दिनांक को खोली जायेगी।
14. प्रतिमाह मूल बिल दो प्रति में जिस पर श्रम विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या अंकित हो, देने पर ही भुगतान किया जावेगा एवं ऐसे बिल ही स्वीकार किये जावेंगे।
15. अनुमान के आधार पर मानवीय श्रम उपलब्ध कराने हेतु बोली (निविदा) आमंत्रित की जा रही है इसमें कभी/वृद्धि भी की जा सकती है। कमी/वृद्धि की स्थिति में देय राशि में अनुपातिक कमी/वृद्धि की जावेगी।
16. फर्म का व्यवसाय एकल है अथवा संयुक्त :– ....
17. व्यवसाय में कार्य का अनुभव :– ....
18. तीन वर्षो में राजकीय/स्वायतशासी संस्थान में कार्य करने का अनुभव :–

क्र0स0	संस्थान का नाम	अवधि	राशि
1.		......................से..........................तक	रू. ..../–
2.		......................से..........................तक	रू. ..../–
3.		......................से..........................तक	रू. ..../–
4.		......................से..........................तक	रू. ..../–
5.		......................से..........................तक	रू. ..../–

19. निविदा शर्त अनुसार ई.पी.एफ. व ई.एस.आई. के जमा चालान जमा कराने का राज्य सरकार / भारत सरकार से पंजीयन की संख्या :–

क्र0स0	ई.पी.एफ. संख्या	ई.एस.आई. संख्या
1.		

20. जी.एस.टी. लागू होने पर जमा कराने हेतु जी.एस.टी. संख्या : –

क्र0स0	जी.एस.टी. संख्या
1.	

21. तीन वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर ....

22. अन्य ....

हस्ताक्षर बोलीदाता

निविदा एवं संविदा की शर्ते एवं निर्देश

नोटः– बोलीदाता को बोली प्रपत्र भरने से पूर्व निम्न शर्तो व नियमों को ध्यानपूर्वक पढना चाहिए।

निविदा भरना–

1. निविदा श्रम विभाग, राजस्थान में पंजीकृत संस्थाऐं ही प्रस्तुत कर सकेंगी। अपंजीकृत संस्था/निविदाकार की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा के साथ पंजीकरण के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. **निविदादाता को PF व विभिन्न श्रम अधिनियम के नियमों का स्वयं के स्तर पर पालन करना अनिवार्य होगा। PF तथा ESI का निविदा में अंकित दर से अलावा अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा इस हेतु रजिस्ट्रेशन कराया जाना ठेकेदार के स्तर पर अनिवार्य होगा। जिसे एक माह में रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा उसके पश्चात् ही प्रथम बिल का भुगतान किया जावेगा।**
3. बोली प्रपत्र को जारी सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मोहरबंद लिफाफे में भेजा जाना है/लेखाशाखा में जमा कराया जाना है। निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. अनुमोदित सेवाप्रदाता के संबंध में यह समझा जावेगा कि उसने कार्य से संबंधित समस्त शर्ते एवं विस्तृत विवरण की जानकारी प्राप्त कर ली है। कार्य आदि के क्रम में या किसी अर्थ के संबंध में कोई संदेह हो तो सेवाप्रदाता को निविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से इस क्रम में पूछताछ कर स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए।
5. बोलीदाता अपनी बोली अथवा उसका सारभूत किसी भाग को न तो किसी उप ठेकेदार/एजेन्सी को सौंप सकेगा और न ही किसी को आगे सबलेट कर सकेगा। ऐसा करने पर संविदा भंग मानी जावेगी एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा सिक्यूरटी राशि जब्त करली जायेगी।
6. बोलीदाता को बोली की शर्तो और प्रविष्टियों की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने होगें।
7. बोली प्रपत्र के साथ स्वयं प्रमाणित सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र पेनकार्ड, श्रम विभाग में पंजीयन तथा बैंक खाता पास बुक की प्रति संलग्न की जावे।
8. स्वीकृत बोलीदाता को उनकी निविदा स्वीकृत होने पर कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एवं एबोलिशन) एक्ट 1970 की धारा 7 की उप धारा (2) तथा (3) ए के अधीन बनाए गये नियमों के अधीन सक्षम पंजीयन अधिकारी से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर संस्थापन शाखा में 07 दिवस में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार का निष्पादन करना होगा। उसके पश्चात ही कार्यादेश जारी किया जावेगा।
9. अजमेर या अजमेर जिले की फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी।
10. फर्म/प्रोपराईटर का अजमेर शहर / जिला के कार्यालय में पंजीकरण / आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड इत्यादि की प्रति संलग्न करें।
11. भारत सरकार / राज्य सरकार के निर्देशानुसार कैशलेस प्रक्रिया के अन्तर्गत फर्म के श्रमिकों को भुगतान करना होगा एवं अन्य निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

कार्य सम्पादन बाबत् निर्देश

12. अनुमानत मानवीय श्रम उच्च/कुशल/अर्द्व/अकुशल के तुल्य कार्यो के सम्पादन का ठेका दिया जाना है। कार्य में 50 प्रतिशत तक की वृद्वि अथवा कमी की जा सकती है। तद्नुरूप भुगतान में अनुपातिक वृद्वि/कमी की जा सकेगी।
13. कार्य की मात्रा अनुमानित है, इसमें आवश्यकतानुसार कमी/वृद्वि की जा सकेगी।
14. ठेका मात्र आवंटित कार्यो के सम्पादन का होगा न कि श्रमिकों के उपलब्ध कराए जाने का।
15. कार्यो का सम्पादन सामान्यतः कार्यालय समय में कराया जाना है। परन्तु आवश्यकता के अनुसार शाखा प्रभारियों की मांग पर कार्यालय समय से पूर्व/पश्चात तथा/अथवा अवकाश के दिनों में भी कार्यो के सम्पादन कराए जाने की व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता

16. कार्य पर लगाए जाने वाले श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक की नही होगी।
17. संवेदक के लिए यह बाध्यता होगी कि अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोषी, सजायाफता श्रमिकों को काम पर नहीं लगाये। अर्थात कर्मकारों के आचरण की जिम्मेदारी संवेदक की होगा।
18. ठेके के तहत कार्य कराने के लिए संवेदक द्वारा नियोजित किए जाने वाले कर्मकार किसी भी प्रकार से महाविद्यालय के लिए देयता (LIABILITY) नहीं होगी। महाविद्यालय द्वारा किसी प्रकार का प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र/परिचय पत्र आदि जारी नहीं किया जावेगा।
19. ठेके के तहत कार्यो के सम्पादन हेतु लगाए गए श्रमिकों को श्रम विभाग के दिशा निर्देशों के तहत देय मजदूरी तथा अन्य सुविधाऐं आदि संवेदक द्वारा दी जावेगी। इसमें किसी प्रकार की कमी का उत्तरदायित्व पूर्णतया संवेदक का ही होगा तथा कोई आर्थिक दण्ड लगाया जाता है तो उसकी वसूली संवेदक को देय किसी भी प्रकार के भुगतान में से की जावेगी।
20. संवेदक के कर्मकारों द्वारा यदि महाविद्यालय की सम्पति को कोई क्षति पहुचाई जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जावेगी।

<u>बोली प्रतिभूति तथा कार्यसम्पादन प्रतिभूति</u>

21. बोलीदाता को ठेके की कुल वार्षिक लागत का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में रू. 4,00,000/– ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक गारंटी, जो प्राचार्य, राज0 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के पक्ष में देय हो, जमा करानी होगी। इसमें पूर्व में जमा ई.एम.डी. का समायोजन किया जायेगा।
22. बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र निविदा प्रपत्र के साथ जमा न कराने पर बोली को अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
23. निविदा निष्पादन व अनुबन्ध के पश्चात असफल बोलीदाताओं को बोली प्रतिभूति की राशि लौटा दी जावेगी। जबकि सफल बोलीदाता की प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में समायोजित किया जा सकेगा।
24. सफल बोलीदाता को दर स्वीकृति पर जारी होने पर ठेके की कुल वार्षिक लागत का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में आदेश जारी करने के 03 दिवस में जमा करा कर करार का निष्पादन करना होगा।
25. कार्य सम्पादन प्रतिभूति नकद के अलावा नियम 75(4) में उल्लेखित किसी भी प्रारूप में स्वीकार की जा सकेगी।
26. राज्य के लघु उद्योगों को सक्षम अधिकारी का पंजीयन प्रमाण पत्र तथा सक्षमता प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत करने पर नियमानुसार बोली प्रतिभूति 0.5 प्रतिशत ही जमा कराने की छूट होगी।
27. बोली प्रतिभूति तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति पर ब्याज अथवा अन्य कोई परिलाभ नहीं दिया जावेगा।
28. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा न कराने पर बोली प्रतिभूति राशि को जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
29. केन्द्रीय/राज्य सरकार की संस्थाओं से नियमानुसार बोली प्रतिभूति घोषणा ही ली जावेगी।
30. कार्य अवधि पूर्ण होने पर महाविद्यालय द्वारा अवधि वृद्वि नहीं करने एवं कार्य संतोशजनक पूर्ण होने पर प्रतिभूति राशि को लौटा दिया जावेगा।
31. महाविद्यालय को संवेदक से किसी भी प्रकार की बकाया या शास्ति की राशि को कार्य सम्पादन राशि में से समायोजित करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता

दर स्वीकृत एवं करार

32. सफल बोलीदाता को अपने खर्च पर, बोली स्वीकृति की सूचना मिलने के 2 दिवस में निर्धारित प्रारूप में रू0 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार का निष्पादन करना होगा।

दर, कर व प्रभार

33. दर अनुसूची में समस्त ठेका कार्य की एक मुश्त मासिक दर का उल्लेख किया जाना है।
34. दर अनुसूची में वर्तमान में लागू एवं देय करों एवं प्रभारों की दरों का पृथक से उल्लेख किया जाना है, यथा प्रावधायी निधि (EPF) बीमा (ESI) तथा सेवाकर (Service Tax), GST आदि।
35. दरें स्पष्ट रूप से अंकों व शब्दों में भरी जावें । दोनों दरों में भिन्नता की स्थिति में शब्दों में अंकित दर मान्य होगी।
36. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वर्ग की दर तथा समय–समय पर संशोधित दर से केवल सेवाकर / जी.एस.टी. भुगतान पृथक से किया जावेगा।

दरों की वैधता

37. बोली प्रपत्र में दी गई दर बोली खुलने की दिनांक से 90 दिवस तक मान्य होगी।
38. स्वीकृत दर करार की दिनांक से दो वर्ष के लिए वैध होगी तथा आपसी सहमति से इन दरों को एक और वर्ष की अवधि तक के लिए मान्य किया जा सकेगा।
39. महाविद्यालय में नियमित प्रकिया से पदो के भरे जाने पर करार की अवधि के दौरान एक माह के नोटिस पर ठेके को कभी भी समाप्त किया जावेगा।

भुगतान प्रकिया

40. प्रतिमाह स्वीकृत दर पर संवेदक द्वारा करार की शर्तो के अनुसार देय भुगतान का बिल संस्थापन शाखा को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा।
41. बिल के साथ संवेदक को गत बिल में भुगतान किए गए सेवाकर / जी.एस.टी. सहित समस्त करों/प्रभारों की राशि को जमा कराए जाने संबंधी चालान की प्रति संलग्न करानी होगी। इसके अभाव में आगे के भुगतान में इन करों का भुगतान जमा की रसीदें प्रस्तुत करने पर ही किया जावेगा।
42. भुगतान प्रतिमाह सम्पादन कराए गए वास्तविक कार्यो के अनुरूप अनुपातिक किया जावेगा।
43. किसी स्थान विशेष पर कार्य नहीं कराने अथवा निरीक्षण के दौरान कार्य में किसी प्रकार की कमी पाए जाने अथवा किसी अधिकारी/शाखा से प्राप्त शिकायत पर प्रति कर्मकार प्रतिदिन राशि रू0 500/– की शास्ति अरोपित की जावेगी, जो बिल में से अथवा संवेदक को महाविद्यालय से देय किसी भी भुगतान में से कर ली जावेगी।
44. किसी शाखा अथवा कार्य स्थल के आवंटित कार्य का संवेदक द्वारा सम्पादन न कराने पर परिस्थितिवश कार्य को अन्य स्त्रोत/माध्यम से कराया जाना आवश्यक हुआ तो उस पर व्यय होने वाली राशि संवेदक के भुगतान में से काट ली जावेगी। इसके अतिरिक्त आर्थिक दण्ड के रूप में जोखिम पर करवाये गए कार्य पर व्यय की गई राशि का दो गुणा तक दण्ड के रूप में आरोपित किया जा सकता है।
45. भुगतान में से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर (TDS) व GST की कटौती की जावेगी तथा इसका प्रमाण पत्र (प्रपत्र 16 ए) जारी किया जावेगा।
46. बिल की जांच एवं आवश्यक कटौतियों पश्चात देय राशि का भुगतान चैक / NEFT / RTGS के माध्यम से संवेदक को किया जावेगा।
47. किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
48. निविदादाता द्वारा अपने श्रमिकों को बैंक खाते में भुगतान किया जायेगा। नगद भुगतान किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। समस्त श्रमिकों को फर्म द्वारा समय पर भुगतान किया जायेगा। चाहे उसे महाविद्यालय द्वारा श्रम को भुगतान नहीं किया गया हो। महाविद्यालय को इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जमा प्रतिभूति राशि में से संबंधित श्रमिकों को भुगतान कर दिया जायेगा। इस प्रकार का भुगतान दो बार से अधिक होने पर निविदा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी।
49. श्रमिकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक / उपस्थिति / अनुपस्थिति सत्यापित प्रति भुगतान बिल के साथ संलग्न करनी होगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता

Deepa

अन्य शर्ते

50. संवेदक द्वारा श्रम विनियम एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 के अन्तर्गत अपेक्षित अनुज्ञा पत्र (लाईसेंस) संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त कर सम्पदा शाखा में जमा कराने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।
51. जितनी संख्या में कर्मकारों के लिए लाईसेंस होगा उतनी संख्या में कर्मकारों का सामुहिक बीमा कराना होगा।
52. कार्य के दौरान किसी कर्मकार के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी (क्षतिपूर्ति आदि) संवेदक की होगी। इसके लिए महाविद्यालय किसी भी प्रकार से सहयोगी अथवा जिम्मेदार नहीं होगा।
53. प्रभावी श्रम कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) बीमा (ESI) और सेवाकर (Service Tax) / जी.एस.टी. आदि की राशि जमा करवाने एवं अन्य वित्तिय अथवा कानूनी दायित्व की पालना ठेकेदार को करनी होगी। प्रतिमाह बिल के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र लेटर पेड पर देना होगा कि किसी भी प्रकार की देयता (LIABILITY) बाकी नहीं लें।
54. बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से की जाने वाली किसी सिफारिश के कारण बोली अमान्य की जावेगी।
55. कार्य पर लगाये गये कार्मिकों को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/बायोमैट्रिक अथवा अन्य निर्देशों के अनुसार सक्षम अधिकारी / प्रभारी के पास संवेदक स्वयं के स्तर पर उपस्थिति रजिस्टर संधारित करना होगा। जिनमें प्रतिदिन प्रातः/सायं नियमित उपस्थिति दर्ज होगी। इस रजिस्टर की फोटो प्रति संवेदक द्वारा प्रमाणित कर बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
56. श्रमिकों को राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर व PF, ESI की वृद्धि / कमी की जाने पर फर्म को बढ़ी / घटी दर पर भुगतान किया जायेगा एवं फर्म द्वारा श्रमिक को उपरोक्तानुसर बढ़ी/घटी दर के अनुरूप भुगतान किया जायेगा। इसी प्रकार सर्विस टैक्स / जीएसटी की दरों में वृद्धि / कमी होने पर तदानुसार ही भुगतान किया जायेगा। फर्म द्वारा प्राप्त राशि सर्विस टैक्स / जीएसटी की दरों / न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि होने पर फर्म द्वारा निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र में संशोधित दरों को अंकित कर बढ़ी/कमी की गई दरों को स्वीकार करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। जिसको प्रशिक्षण किया जाकर संशोधित दरें नियमानुसार लागू की जायेगी।
57. निविदादाता द्वारा संबंधित श्रमिकों की काटी गई PF, ESI एवं सर्विस टैक्स/जीएसटी या अन्य कोई कर जो लागू होता है। इस संबंध में संबंधित विभाग/श्रमिक के खाते जमा करा दिया जायेगा का 500/- रू. के नॉन ज्यूडिशल स्टॉम्प पेपर पर शपथ कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
58. ठेके से संबंधित प्राप्त किसी बोली/बोलियों को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय,अजमेर को होगा।
59. बोली के संबंध में अथवा इसके तहत निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध की शर्तो की व्याख्या अथवा अनुबंध से संबंधित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद होता है तो इस विवाद पर प्राचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर का निर्णय अंतिम एवं संवेदक को मान्य होगा।
60. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र (बी) में बोलीदाता को योग्यता संबंधी घोषणा करनी होगी।
61. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार अजमेर होगा।
62. बोलीदाता की किसी भी शर्त पर विचार नहीं किया जावेगा।
63. सामान्य वित्तीय लेखा नियम भाग –II के नियम 68 में वर्णित सभी शर्ते लागू होगी एवं **राज्य में दिनांक 26.01.2015 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012 & 2013 लागू है अतः उसमें वर्णित सभी शर्ते एवं प्रावधान उक्त निविदा में लागू होगें।**
64. श्रमिकों की संख्या में 50 प्रतिशत तक वृद्धि/कमी प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा की जा सकती है।
65. जिन प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी / निविदादाता की सेवाऐं पूर्व में संतोषजनक नहीं रही उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

66. महाविद्यालय द्वारा प्रशासनिक / अन्य कारणों से संवेदक द्वारा प्रस्तुत बिल के भुगतान में विलम्ब हो सकता है लेकिन निविदादाता को प्रतिमाह दिनांक 01 से 07 तारीख तक उसके अधीन कार्यरत समस्त श्रमिकों को भुगतान स्वंय के स्तर पर करना आवश्यक है। इस संबंध में महाविद्यालय को किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

67. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा : –

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुंबधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1958 के अन्तर्गत				

68. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

69. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

70. राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की समय – समय पर जारी अधिसूचनाओं वर्तमान में जारी सूचना क्रमांक एफ.5(6)न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट/7182 दिनांक 06.03.2019 एवं राजस्थान सरकार के वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 की पालना करना अनिवार्य है।

71. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाऐं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय – समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

Deep

72. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल के भुगतान किया जायेगा।

73. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा। यदि किसी कारण से संवेदक द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो महाविद्यालय द्वारा संबंधित को भुगतान कर दिया जायेगा। जिसका समायोजन आगामी बिल/प्रतिभूति राशि में से किया जायेगा। जिसके लिये संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

74. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

75. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा करना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

76. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

77. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एव सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

78. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।

79. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगी।

80. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

81. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

82. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

83. राज्य सरकार /भारत सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी भुगतान की पालना करना अनिवार्य है।

84. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय की अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

85. अन्य समय – समय पर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

86. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षर कर्ता के पास सुरक्षित है।

87. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट–2000 के तहत डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आएगी। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डी.एस.सी. (DSC) स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

88. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फॉमेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन् के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाऐंगे। कोई भी प्रस्ताव भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं होगा।

89. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का संघटक महाविद्यालय है जिसके दिशा निर्देश भी लागू होंगे।

90. ठेकेदार एवं श्रमिकों के मध्य पारिश्रमिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर समस्त दायित्व ठेकेदार का स्वयं का होगा। महाविद्यालय इसमें किसी भी प्रकार से पक्षकार नहीं बनेगा।

91. निविदा में फर्म द्वारा ऐजेन्सी चार्ज / कमीशन की राशि शून्य अथवा Nil अंकित करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

प्राचार्य
अभियांत्रिकी महाविद्यालय
अजमेर

घोषणा ए

निविदा सूचना संख्या/अमअ/संस्थापन/2024/153 दिनांक 23.8.24 में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिए हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्ते जो संलग्न प्रपत्र में दी गई है (जिनके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रतीकस्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।

दिनांक........................ हस्ताक्षर बोलीदाता मय सील

घोषणा बी

यह प्रमाणित कर वचन बद्ध है कि हमारे द्वारा महाविद्यालय में विभिन्न कार्यो सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये गये श्रमिकों को लेबर एक्ट के तहत न्यूनतम वेतन चुकाने एवं अन्य सभी शर्तो की पूर्ति करेगें। इसमें किसी तरह की कमी होने पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु हम / मैं / प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी / सेवाप्रदाता को स्वीकार्य होगा।

दिनांक........................ हस्ताक्षर बोलीदाता मय सील

घोषणा सी

उपरोक्त समस्त दरें मैंने/हमने निविदा शर्तो का अच्छी तरह अध्ययन कर ध्यानपूर्वक भरी है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि प्राचार्य, राज0 अभि0 महाविद्यालय,अजमेर का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म/संस्था उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में उक्त व्यवसाय/कार्य किया जाता है तथा वांछित श्रम शक्ति/मशीन/उपकरण/तकनीकी जानकारी आदि उपलब्ध है। केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या इनके अधीन किसी बोर्ड/स्वायतशासी संस्थान/निगम आदि के द्वारा हमारी फर्म ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है।

दिनांक................................. बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

घोषणा डी

उपरोक्त समस्त दरें मैंने/हमने निविदा शर्तो का अच्छी तरह अध्ययन कर ध्यानपूर्वक भरी हैं। मुझे/हमें यह भी स्वीकार हैं कि प्राचार्य, महाविद्यालय, अजमेर का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म/संस्था उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में उक्त व्यवसाय/कार्य किया जाता है तथा वांछित श्रम शक्ति/मशीन/उपकरण/तकनीकी जानकारी आदि उपलब्ध हैं। केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या इनके अधीन किसी बोर्ड/स्वायतशासी संस्थान/निगम आदि के द्वारा हमारी फर्म ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है।

दिनांक................................ बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

<u>घोषणा ई</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने उक्त सभी शर्तो का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम इन शर्तो की पालना की सहमति स्वरूप इसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर बोली प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया है। निर्धारित प्रपत्र "ए.बी.सी.व ड़ी." में घोषणा हस्ताक्षर कर पृथक से संलग्न कर दिया गया है। इस निविदा के तहत अनुबन्ध होने पर निविदा अधीन कार्य कराने के लिये मेरे/हमारे नियोजित किये जाने वाले कर्मकार की किसी भी प्रकार से देयता (Liability) हमारी होगी, महाविद्यालय की किसी भी प्रकार से नहीं होगी।

दिनांक......................... **हस्ताक्षर बोलीदाता मय सील**

कृपया निम्न प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की प्रति तकनीकी निविदा हेतु आवश्यकः–

1. अर्नेस्ट मनी की छायाप्रति। : हां ☐ नहीं ☐
2. श्रम विभाग से इस कार्य के रूप में पंजीकृत होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रति। 1970 का श्रम विभाग से न्यूनतम 25 श्रमिकों का लाईसेन्स। : हां ☐ नहीं ☐
3. सेवाप्रदाता संस्था / फर्म / प्रोपराईटर का पैन कार्ड की प्रति। : हां ☐ नहीं ☐
4. जी.एस.टी. / उत्पाद के रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रति। : हां ☐ नहीं ☐
5. फर्म के पास ESIC व PF रजिस्ट्रेशन प्रति संलग्न करें। : हां ☐ नहीं ☐
6. एन0जी0ओ0 होने पर संस्था के विधान/संविधान की प्रति। : हां ☐ नहीं ☐
7. संस्था के पास निविदत्त कार्य के लिये उपलब्ध श्रम शक्ति की पूर्ण विवरण सहित सूची। : हां ☐ नहीं ☐
8. तीन वर्ष का सम्बंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र एवं संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र। : हां ☐ नहीं ☐
9. फर्म का तीन वर्षो का 60 लाख का टर्नओवर का प्रमाण पत्र। (Audited Balance Sheet) : हां ☐ नहीं ☐
10. निविदादाता फर्म/ऐजेन्सी को 05.00 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र। : हां ☐ नहीं ☐
11. फर्म के पास विगत 3 वर्ष में कम से कम 25 श्रमिक/कार्मिक कार्यरत होना आवश्यक है।: हां ☐ नहीं ☐
12. किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का स्वयं का शपथ पत्र। (रू. 500/– के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)। : हां ☐ नहीं ☐
13. तकनीकी निविदा एवं वित्तिय निविदा को ई–प्रोक्यूरमेन्ट के माध्यम से भरा जाना आवश्यक है। : हां ☐ नहीं ☐
14. तकनीकी निविदा में सफल होने पर ही वित्तिय निविदा खोली जावेगी। : हां ☐ नहीं ☐
15. पेन / टिन / जीएसटी नम्बर की फोटो प्रति। : हां ☐ नहीं ☐
16. बैंक खाते की पासबुक मय फोटो : हां ☐ नहीं ☐
17. दरें तुलनात्मक दृष्टि से संतोषजनक/स्वीकार्य होने पर अजमेर शहर की फर्म / प्रोपराईटर को प्राथमिकता दी जा सकती हैं। : हां ☐ नहीं ☐

दिनांकः

निविदाता के हस्ताक्षर मय सील

Deepk

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

महाविद्यालय में विभिन्न सेवाऐं (लगभग 25 श्रमिक तुल्य कार्य सम्पादन हेतु)

(वित्तीय निविदा) Financial-Bid/BOQ

मैंने उपरोक्त शर्तो एवं इस प्रपत्र के साथ संलग्न विशिष्ठ शर्तो का पढ एवं समझ लिया है, और इन सबकी पालना करने हेतु आप से वचनबद्व हूँ। हमारे द्वारा श्रमिकों को प्रतिमाह / वास्तविक कार्य दिवस / अधिकतम 26 कार्य दिवस की दर राज्य सरकार के नियमानुसार भुगतान किया जायेगा BOQ में केवल एजेन्सी चार्ज या कमीशन ही अंकित करना है (निविदा में फर्म द्वारा ऐजेन्सी चार्ज / कमीशन की राशि शून्य अथवा Nil अंकित करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

1

क्र0स0	विवरण	दर प्रतिमाह			अनुमानित कार्य का विवरण
		अंको में रूपये	शब्दों में रूपये		
1.	प्रति उच्च कुशल श्रमिक तुल्य कार्य सम्पादन हेतु (डिप्लोमा हॉल्डर, आई.टी. आई., फॉरमैन)	ई.पी.एफ., ई.एस.आई., सेवा कर / जी.एस.टी. राज्य सरकार / केन्द्र सरकार की दरों के अनुसार		अनुमानित आवश्यकता 13	डाटा एन्ट्री, ऑन लाईन फार्म, टाईपिंग, नेटवर्किंग, लैब का रखरखाव एवं प्रशासन के निर्देशानुसार कार्य
2.	एजेन्सी चार्ज/कमीशन राशि रूपये : –	....			

2

क्र0स0	विवरण	दर प्रतिमाह			अनुमानित कार्य का विवरण
		अंको में रूपये	शब्दों में रूपये		
1.	प्रति कुशल श्रमिक तुल्य कार्य सम्पादन हेतु (राज्य सरकार के नियमानुसार)	ई.पी.एफ., ई.एस.आई., सेवा कर / जी.एस.टी. राज्य सरकार / केन्द्र सरकार की दरों के अनुसार		अनुमानित आवश्यकता 01	लिपिकीय कार्य, वाहन चलाना, सहायक लैब, लेखाशाखा का कार्य एवं प्रशासन के निर्देशानुसार कार्य
2.	एजेन्सी चार्ज/कमीशन राशि रूपये : –	....			

3

क्र0स0	विवरण	दर प्रतिमाह			अनुमानित कार्य का विवरण
		अंको में रूपये	शब्दों में रूपये		
1.	प्रति अर्द्वकुशल श्रमिक तुल्य कार्य सम्पादन हेतु (राज्य सरकार के नियमानुसार)	ई.पी.एफ., ई.एस.आई., सेवा कर / जी.एस.टी. राज्य सरकार / केन्द्र सरकार की दरों के अनुसार		अनुमानित आवश्यकता 11	सहायक के रूप, लेखाशाखा में सहायक, लैब बॉय, एवं प्रशासन के निर्देशानुसार कार्य
2.	एजेन्सी चार्ज/कमीशन राशि रूपये : –	....			

नोटः– श्रमिकों को मानदेय, ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई आदि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा। उक्त प्रपत्र में केवल फर्म एजेन्सी चार्ज अथवा कमीशन जो महाविद्यालय से लिया जाना है वह ही चार्ज अंकित करें। यह प्रति सेवा प्रति व्यक्ति रूपये के रूप में उक्त सारणी में अंकित करना होगा। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय किसी प्रकार की राशि देय नहीं होगी।

दिनांक..................................

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय रबर सील